

IS 15700:2018



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

नीलगिरी कॉम्प्लैक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ, 226016



संख्या/ 3452 / सी.ए.पी./ 202

दिनांक- 13/10/25

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के नियोजित अनिस्तारित अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु सेक्टर-3 में स्थित भूखण्ड संख्या-3/सी.सी.-1 (कम्युनिटी सेंटर) के प्रस्तुत प्रस्ताव को परिषद की 272वीं बोर्ड बैठक दिनांक-22.07.2025 के मद संख्या 272/21 में पारित निर्देश के क्रम में परिषद बोर्ड द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड संख्या-3/सी.सी.-1 को ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तन किये जाने हेतु पुनः धारा-13 की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। जिसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल.यू.सी./98 दिनांक-13.10.1998 के अन्तर्गत धारा-13 की कार्यवाही किये जाने हेतु कम्युनिटी सेंटर भूखण्ड संख्या-3/सी.सी.-1 को ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तन किये जाने हेतु जन-सामान्य से आपत्तियाँ / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

आपत्तियाँ / सुझाव सूचना के प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अवधि में किसी भी कार्यदिवस में मुख्य वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, लखनऊ, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, द्वितीय तल, नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ व ई-मेल cap@upavp.com को लिखित आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

आवास आयुक्त

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

(किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे)



UPHousingBoard



uphousingdevboard